कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-96/2016-17/

दिनांक : /05/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- गरुड़

जिला- बागेश्वर

विषय : क्षेत्र पंचायत गरुड़ का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **05** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 96/2016-17/ **दिनांक: 05/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड़ सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- जिला पंचायतराज अधिकारी, बागेश्वर।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, गरुड़ जनपद-बागेश्वर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री गोविन्द सिंह बोरा - खण्ड विकास अधिकारी

(ii) श्री के.एन. तिवारी - जिला विकास अधिकारी

(iii) श्री ..... अपर मुख्य अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री वी.पी. सिहं, ले.प.अ.

(ii) श्री एस.के. वर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.

(iv) श्री रवीन्द्र सिंह, सम्प्रेक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 17/02/2017 से 23/02/2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षेत्र पंचायत गरुड़, बागेश्वर**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों की संख्या है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-106

भौगोलिक क्षेत्र :-- 14341.278 हे.

जनसंख्या : 68617

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः -

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 18

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : शून्य

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय -व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- गरुड़, जनपद-बागेश्वर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री वी.पी.सिहं, ले.प.अ., श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., तथा के.एस. चौहान, स.ले.प.अ. एवं श्री रविन्द्र सिंह, ले.प. द्वारा दिनांक 17.02.2017 से 23.02.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
	भाग 4(ब)-1	**भाग 4(ब)-2**

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य

भाग 4 ब-2

प्रस्तर-1 रु. 17.84 लाख की लागत के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न किया जाना एवं एरिया परिवर्तन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 773/7-पं./आर.जी.पी.एस.ए./2013-14 दिनांक 19 फरवरी 2015 के द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु विकास खण्ड स्तरीय रिसोर्स सेंटर निर्माण के लिये स्वीकृत कुल रु. 10.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रुप मे प्रथम किश्त की धनराशि रु. 5.00 लाख आवंटित किया गया था। उपरोक्त निर्माण कार्य में लगभग 200 जनप्रतिनिधियों/कार्मिकों हेतु 18x10 मीटर का 01 सभागार, 01 कार्यालय कक्ष, 02 शौचालय व 01 किचन का निर्माण किया जाना था। इस निर्माण कार्य हेतु दिनांक 24.04.2015 को रु. 25.15 लाख का आंगणन स्वीकृत किया गया था जिसमें आर.जी.पी.एस.ए. से रु. 10.00 लाख, तृतीय राज्य वित्त से रु. 5.00 लाख एवं मनरेगा से रु. 10.00 लाख व्यय किया जाना था।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, गरुड के पत्रांक दिनांक 18.01.2016 के द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण मनरेगा से कम धनराशि व्यय किये जाने के कारण अपर सहायक अभियन्ता, (ग्रामीण निर्माण विभाग) विकास खण्ड गरुड से रिसोर्स सेन्टर में सभागार का एरिया 18x10 मीटर के स्थान पर 14x6 मीटर परिवर्तित करते हुये परिवर्तित आगणन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किया। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा सभागार का एरिया परिवर्तित करते हुए रु. 17.84 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया। रु. 17.84 लाख में से आर.जी.पी.एस.ए. से रु. 10.00 लाख, तृतीय राज्य वित्त से रु. 5.00 लाख एवं मनरेगा से रु. 2.84 लाख व्यय किया जाना था। उपरोक्त निर्माण कार्य को तीन माह में पूर्ण किया जाना था लेकिन सम्प्रेक्षा तिथि तक उपरोक्त निर्माण कार्य पर रु. 10.35 लाख व्यय किया गया था तथा सम्प्रेक्षा तिथि तक उपरोक्त निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि सभागार के एरिया परिवर्तन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि भवन निर्माण कार्य होने के कारण मनरेगा से स्वीकृति धनराशि रु. 10.00 लाख का व्यय 60:40 के अनुपात में खर्च करने में व्यवधान होने तथा निर्माण स्थल पर अत्यधिक वर्षा से जलभराव होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सभागार का एरिया परिवर्तन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्यालय के पत्रांक 1311 दिनांक 14.03.2016 के द्वारा सक्षम अधिकारी को सूचित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा मौखिक रुप से सहमति दी गयी।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अप्रैल-2015 से फरवरी 2017 तक जल भराव नही था अतः विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सका तथा सभागार के एरिया परिवर्तन में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर उपरोक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जा रहा है।

अतः रु. 17.84 लाख की लागत के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने एवं एरिया परिवर्तन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग 4 ब-2</u>

प्रस्तर-2:- 13 वें वित्त आयोग अन्तर्गत रुपये 5.50 लाख के पेयजल योजनाओं का नियमानुसार क्रियान्वयन न किया जाना।

केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत योजना अन्तर्गत खण्ड विकास के गाँवो मे पेयजल योजनायें स्वीकृत की गयी थी स्वीकृत योजनाओं की आगणन की तकनीकी स्वीकृति 2013-14 एवं 2014-15 में प्रदत थी, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कार्य आदेश जारी किये गये थे (जनवरी 2015)। जारी कार्य आदेश निम्न शर्तों के अधीन थे।

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजना इस विभाग से अथवा किसा अन्य विभाग/संस्था से बनी तो नही है, यदि बनी है तो कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(ii) योजना में किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नही होगा।

इकाई की लेखापरीक्षा (फरवरी-2017) में देखा गया कि कार्य आदेश के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किया गया था कि कार्य पूर्व में सम्पादित कराये गये हैं अथवा नही/योजना के आगणन उनके क्रियान्वयन से 02 वर्ष पूर्व में बनाये गये थे तथा योजना क्रमांक 2 में प्रयुक्त सामग्री आगणित G.I. Pipe सामग्री से अधिक थी। (संलग्नक-क)

इस पर रुपये 0.62 लाख अधिक व्यय किया गया था, जो पूरे आगणन का 31 प्रतिशत था। इस विचलन की तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त थी, स्पष्ट था कार्य के आगणन क्षेत्र के सम्यक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किये गये थे।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्य स्थल की भौगोलिक परिस्थिति के कारण सामग्री की प्रयुक्त मात्रा में हुये विचलन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी, तथा भविष्य में आगणन में लाभान्वितों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गठित आगणन बिना सम्यक् सर्वेक्षण एवं लाभान्वित परिवारों आदि के आंकलन के किये गये थे जिससे कार्य की प्रभाविता का आंकलन लेखा परीक्षा में नही हो सका।

अतः 13 वें वित्त आयोग अन्तर्गत रुपये 5.50 लाख की लागत से पेयजल योजना के निर्माण कार्य, कार्य आदेशों की शर्तो एवं तकनीकी स्वीकृति के विपरीत तथा अधिकतम लाभार्थियों को सुनिश्चित किये बिना कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग 4 ब-2</u>

प्रस्तर-3:-मेरा गाँव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत गठित आगणनो के अनुरुप तकनिकी स्वीकृति प्राप्त न किया जाना एवंम् रुपये 105.00 लाख के व्यय के पश्चात भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवम् संसाधनिक परिस्थितयों के कारण अन्य राज्यों से भिन्न है, राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगो को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजना आरम्भ की गयी, इस योजना के तहत एक कि.मी. तक के लम्बाई की छोटी सड़क मुख्य मार्ग से जोड़नी है जो गाँवो को जोडेगी। वित्तीय व्यवस्था के तहत इस योजना मे 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी एवम् शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा सांसद निधि, विधायक निधि, एवम् अन्य मदो से व्यय की जायेगी।

इकाई की लेखा-परीक्षा (फरवरी 2017) मे अभिलेखो की जाँच मे देखा गया कि उक्त योजना के तहत निम्नलिखित सड़को का निर्माण किया जाना स्वीकृत था। प्रत्येक सड़क की लम्बाई एक कि.मी. थीः-

क्र. सं.	कार्य का नाम	गठित आगणनो की धनराशि
1.	गरुड़ देव नाई मुख्य मोटर मार्ग से राजस्व ग्राम बडेत मे मल्ली बडेत तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण	42,43000/-
2.	गरुड़ देव नाई मोटर मार्ग से ग्राम नौधर मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण	42,43000/-
3.	लखनी मोटर मार्ग से ग्राम पंचायत नौधर स्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण	41,000,00/-

उपर्युक्त कार्यो से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि तीनों कार्यों के गठित आगणनों को कम करके रुपये 35.00 लाख के दो आगणनों की स्वीकृति एवम् एक कार्य के पूर्ण आगणन की स्वीकृति प्राप्त की गयी। शासन द्वारा 2014-15 एवम् 2015-16 में धनराशि निर्गत की गयी थी, लेखा परीक्षा तिथि तक विभाग द्वारा रुपये 105.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी जो प्रत्येक कार्य पर 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से एवम् 50 प्रतिशत धनराशि राज्यांश से व्यय की गयी थी, आगे जाँच मे पाया गया कि उक्त तीनो सड़को का कार्य अपूर्ण है केवल कटिंग एवम् दीवारो का कार्य हो चुका है जबकि सी.सी. कार्य नही कराया गया है। जितनी धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी थी वह व्यय की जा चुकी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि शासन से प्राप्त धनराशि पर शीघ्र कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि

प्रस्तावित कार्य की पूर्ण तकनीकी स्वीकृति एवम् धनाबंटन प्राप्त न होने से तथा अधूरे कार्य लम्बित रहने के कारण उस पर किया। व्यय अलाभकारी था तथा कार्य की लागत मे वृद्दि की सम्भावना से इकाई नही किया जा सकता।

प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 ब-2

प्रस्तर-4:- निर्माण कार्यों पर प्रयुक्त रुपये 19,14,18/- की सामग्री 44.60 कुन्तल सरिया का विशिष्टियों एवम् गुणवत्ता का उल्लेख किये बिना क्रय किया जाना।

विभिन्न योजनान्तर्गत यथा केन्द्रीय वित्त आयोग-13 वाँ वित्त आयोग, उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, (संलग्न सूची के अनुसार) की लेखा-परीक्षा मे चयनित पत्रावलियों के अनुसार जाँच मे देखा गया कि योजना मे प्रयुक्त सरिया क्रय मे बाजार से ली गयी कोटेशनो मे विशिष्टियो यथा उसकी मोटाई एवम् अन्य गुणवत्ता का उल्लेख किये बिना ही दर लिये गये थे जिसके आधार पर आपूर्ति प्राप्त कर सामग्री को कार्यो मे प्रयुक्त किया गया था। प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता जाँच सम्बंधी अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही थे। इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। (संलग्नक ख)

लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे विभिन्न निर्माण कार्यो मे प्रयोग करने हेतु सरिया के क्रय मे उसकी मोटाई एवम् गुणवत्ता उल्लिखित की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि कार्यो मे प्रयुक्त सामग्री के क्रय के समय उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो नही किया गया है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

संलग्नक 'ख'

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष	क्रय की गयी सरिया (कुन्तल)	दर	कुल लागत
1.	सलानी बगड़ गुमापाताल गधेरे में पुलिया तथा निर्माण (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	3.00/-	2013-14	6.75	4400	29700/-
2.	रियूनील खमार में भटिय चौटी पेयजल योजना (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	5.00	2015-16	10.00	4200	42,000/-
3.	कोट फुलवारी से रावतको पेय योजना (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	5.00	2015-16	04.00	4200	16,800/-
4.	भिटार कोट से ग्वाल्दे पेयजल योजना एवं टैंक निर्माण (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	5.00	2015-16	9.20	4200	38,640/-
5.	सारोग में लाट्टर नदी पर पुलिया तथा मार्ग निर्माण (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	3.50	2013-14	9.07	4400	39,908/-
6.	जूनियर हाईस्कूल जिंगलौ में कक्ष निर्माण (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	3.00	2013-14	0.90 0.61	4400 4600	3960/- 2806/-
7.	मत्यूड़ा में कन्या जूनियर हाई स्कूल के पास नाले में पुलिया तथा मार्ग निर्माण (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	3.00	2013-14	2.06 1.00	4400 4500	9064/- 4500/-
8.	टैंकी धार से पेटलाकोट को पेयजल योजना निर्माण कार्य (13 वाँ वित्त आयोग) (उ.सी.पि. एं क्षेत्र विकास निधि)	2.00	2014-15	1.01	4000	4040/-
			योग	44.60		191418/-

भाग 4 ब-2

प्रस्तर-5:-विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि रुपये 3,07,991/- को राजकोष मे जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-347/वि.आ.निदे.(तृ.रा.वि.आ.) 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, राज्य वित्त आदि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष मे जमा किया जाना चाहिए।

खण्ड विकास अधिकारी गरुड़ के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि विभिन्न मदो के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज रुपये 3,07,991/- की धनराशि विभाग के खातो में पड़ी है जबकि उक्त धनराशि को 0049 ब्याज प्राप्तियाँ मे जमा किया जाना चाहिए था।

लेखा-परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अर्जित जमा धनराशि को जमा करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त अर्जित होने पर तुरन्त जमा किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-चार अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका कार्यस्थल पर समाधान नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत गरुड़ जिला बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेद दे।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय